प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00102/2023-2024

दिनांक 26/04/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/BAS/00978/2023-2024   पत्रावली संख्या:G-41919   दिनांक:2007-2008

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **जानकी प्रसाद चौधरी शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम कटौधा पो0-भरवलिया जनपद-बस्ती, बस्ती , 272123** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1534/2007-2008 दिनांक-14/02/2008 को दिनांक-14/02/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।
1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(NAGENDRA SINGH)
4CA7842A42A1CE3AFD772B454FF1A5610BCD35E1
Date: 26/04/2023 4:29:07 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-26/04/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   06AD 661037

[illegible] जानकी प्रसाद चौधरी शिक्षा प्रचार समिति
ग्राम - कटौधा पो० मुरवलिया
बस्ती फाइल नं० जी-41919
प्रबन्ध समिति की के साथ संलग्न।
सूची वर्ष - 2016-17

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :: **जानकी प्रसाद चौधरी शिक्षा प्रसार समिति।**
2. संस्था का पूरा पता :: ग्रा0–कटौधा पो0 भरवलिया जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संसथा का उद्देश्य ::

    1. संस्था पीडित मानवता की सेवा की भावना से उन सभी कार्यो को करेगी जो जनहित एवं राष्ट् हित में हो।
    2. बालक एवं बालिकओं को शैक्षिक, मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक विकास की शिक्षा प्रदान करना।
    3. संस्था अपने माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक, विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इण्टरमीडिएट कालेज, डिग्री कालेज एव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टेक्निकल कालेज एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टेक्निकल कालेज, रोजगार परक शिक्षण संस्थाए संचालित करना।
    4. ज्ञानवर्धक, हितार्थ, पुस्तकालय, वाचनालय तथा समाजोउपयोगी कार्यक्रमों की निःशुल्क व्यवस्था करना।
    5. अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गो एवं बौद्दिक वर्गो के लोगों के कल्याणर्थ शिक्षण संस्थाओं, छात्रावास, शौचालय, मुत्रालय, अनाथलय, महिला आश्रम की स्थापना करना।
    6. निःशुल्क औद्योगिक एवं प्रावैधिक, व्यवसायिक इलेक्ट्रानिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना एवं शिक्षा देना।
    7. राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वित करने हेतु ग्राम समाज एवं सरकार से भूमि तथा शासन से जानकारी कर वृक्षारोपण मत्स्यपालन करना एवं तालाब का निर्माण करना।
    8. संस्था सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम सघन रूप से चलाकर सबको साक्षर बनाकर कार्य करेगी।
    9. युवकों, किशोरों, बालक एवं बालिकाओं को सामाजिक, चरित्र निर्माण राष्ट्रीय स्वाभिमान आत्मनिर्भर से सम्बन्धित समस्त कार्यो का संचालन करना।
    10. कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क हास्टल निराश्रित लोगों के लिए संरक्षण गृह शिशु निकेतन का संचालन करना।
    11. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

राधेश्याम Nisha स्नेहलता

प्रस्तुतिकर्ता

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

12– परिवार कल्याण, परिवार नियोजन की महत्ता के बारे में अवगत कराना महिलाओं के लिए जागरूकता केन्द्र व बच्चों का टीका लगाना व बच्चों के जन्मदर को कम करने के बारे में अवगत कराना सम्बन्धित कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।

13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवा परित्वक्तता नारी, विकलांग अंधे, निराश्रित लोगों के लिए सरकार द्वारा चालाई जा रही योजनाओं से अवगत कराना, एवं उसे कियान्वित करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

14. ग्रामीण/शहरी/निराश्रित महिलाओं को सिलाई, कढाई, बुनाई लघु उद्योग के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर हो सके।

15. एड्स, ड्ग्स कैसर नसबन्दी की रोकथाम हेतु प्रयास करना तथा इससे होने वाली बीमारियों, हानियों से अवगत कराना व उनका प्रचार व प्रसार करना।

16. बालबाडी, आंगनबाडी, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, बाल विकास योजना का आयोजन व कियान्वयन करना व प्रौढ़ो को शिक्षा देने की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

17. शिक्षित बेरोजगारों को टाईप स्कूल कम्प्यूटर कक्षाएं, टेलीविजन कोर्स कराने की निःशुल्क व्यवस्था करना।

18. समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नावार्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालित करना व उनका प्रचार करना।

19. अस्वच्छ वातावरण में रहने वाले व निराश्रित बच्चो के पुनर्वास एवं शिक्षण प्रशिक्षित व समाजोत्थान करने से सम्बन्धित राज्य सरकार व केन्द्रिय सरकार के कार्यक्रमों को संचालित करना।

20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों एवं परिवारों को शिक्षित प्रशिक्षित व समाजोत्थान करने से सम्बन्धित राज्य सरकार व केन्द्रिय सरकार के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा प्रचार व प्रसार करना।

21. राज्य सरकार एवं केन्द्रिय सरकार से पिछड़े वर्ग के बच्चों, अल्पसंख्यक बच्चों नाबालिग तथा लावारिश बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को संचालित करना एव कियान्वित करना।

22. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जात के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

23. बाबा साहब डा0अम्बेडकर तथा गौतम बुद्व के विचारों का प्रचार व प्रसार करना।

24. उसर भूमि सुधार योजना का प्रचार एवं प्रसार तथा उससे सम्बन्धित समस्त योजनाओं को ग्रामीण अंचल में कियान्वित करना।

स्नेह लता

प्रस्तुति शोभा

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

25. महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार व प्रसार करना एवं कार्यन्वयन करना, जैसे–खादी ग्रामोद्योग की स्थापना करना।

26. जनसंख्या वृद्वि, कल कारखानों से निकलने वाले धुए अनियत्रित प्रदूषण की रोकथाम हेतु जागरण करना तथा प्रदूषण को नियंत्रित रखने सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार एवं कियान्वयन करना।

27. भारतीय संस्कृति, परम्परा के अनुरूप एवं पुरुष व महिलाओं के जीवन स्तर को उचा उठाने हेतु देश और विदेश से जानकारी प्राप्त करके उक्त उनका प्रचार व प्रसार करना।

28. पीड़ित मानव की सेवा के उद्देश्य से निम्न लिखित संस्थागत इकाइयों का संचालन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में करना।

- क. नि:शुल्क चिकित्सालय का संचालन
- ख. नि:शुल्क अनाथ आश्रम का संचालन
- ग. वृद्वा एवं विधवा सेवा आश्रम का प्रचार प्रसार
- घ. डेरी फार्म का प्रचार प्रसार करना।
- ड. नि:शुल्क हस्तशिल्प कला केन्द्र का संचालन
- च. नि'शुल्क औद्वोगिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं का संचालन।
- छ. नि:शुल्क शिक्षा एवं कृषि सेवा संस्थाओं का संचालन।
- ज. मत्स्य पालन एवं सेवा संस्थान नि:शुल्क की स्थापना।
- झ. नि:शुल्क पशुचिकित्सालय की स्थापना करना।
- त्र. कुष्ठ रोग आश्रम एवं चिकित्सालय की नि:शुल्क स्थापना करना।

29. संस्थान से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को उचित शिक्षा देने की नि:शुल्क व्यवस्था करना

30. ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग के द्वारा बेकारी दूर करना तथा कृषि धन का समुचित उपयोग करना एवं आश्रित बेराजगार लोगों की आय में वृद्वि करना।

31. समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न लोगों के लिए उनके जीवन के स्तर को उचा उठाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं इसके अन्तर्गत फीटर ,टर्नर, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर टेनिंग टंकण हिन्दी, अंगेजी टे्निंग, रेडियो, मोटर बाइडिंग टेनिंग, टी.बी. मैकेनिक इन सभी टे्डों का नि:शुल्क प्रशिक्षण देना जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत आता है।

32. उक्त समस्त बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त छात्र छात्राओं एवं अन्य कर्मचारियों के लिए आवास एवं खाद्य सामग्री की समुचित नि:शुल्क व्यवस्था करना।

33. मानवतावादी महापुरूषों के विचारों की गोष्ठि एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित कराकर मानव मूल्यों की स्थापना में सहयोग प्राप्त करना।

34. संस्था के माध्यम से अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों की स्थापना करना जिसमें सी.बी.एस.ई.बोर्ड, आई.सी.एस.ई.बोर्ड की मान्यता प्राप्त करके विद्यालयों का संचालन करना।

स्नेह लता

प्रस्तुति गोका

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम :: **जानकी प्रसाद चौधरी शिक्षा प्रसार समिति।**
2. संस्था का पूरा पता :: ग्रा0–कटौधा पो0 भरवलिया जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य :: स्मृति–पत्र के अनुसार।
5. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–**

संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था के दो अंग होगें (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी सभा

अ– साधारण सभा– साधारण सभा के निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होगें।

क– साधारण सदस्य– संस्था के साधारण सदस्य वे लोग माने जायेगें जो एक ही बार 1001/ रू0 नकद या इतने ही मुल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को प्रतिवर्ष दान स्वरूप प्रदान करते रहेगे।

ख– आजीवन सदस्य– संस्था के आजीवन सदस्य वे लोग होगें जो एक ही बार में 10001 रू0 नगद या इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप प्रदान करते रहेगें।

ग– विशिष्ट सदस्य– संस्था का विशिष्ट सदस्य वे लोग होगें जो एक ही बार में 20001 रू0 नकद या इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप प्रदन करते रहेगें।

नोट–(1) नया सदस्य बनाने के लिए केवल संस्था के प्रबन्धक ही अधिकृत होगें किन्तु प्रबन्धक का दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति की सहमति उक्त के सम्बन्ध में करा लें और प्रबन्धक द्वारा सदस्य को सदस्यता रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) चन्दा अथवा दान देने से कोई व्यक्ति सदस्य नहीं माना जायेगा सदस्यता शुल्क के रूप में ही धन देने पर वह सदस्य माना जायेगा।

स्नेहलता प्रस्तुति

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

6— सदस्यता की समाप्ति— किसी भी सदस्य को निम्नलिखित रूप में पाये जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी। स

1. मृत्यु हो जाने पर
2. दिवालिया अथवा पागल हो जाने पर
3. नैतिक अपराध करने अथवा न्यायायल से दोषी ठहराए जाने पर
4. संस्था के संचालन में अथवा संस्था के विरुद्व कार्य करने पर।

नोट— किसी सदस्य की अयोग्यता घोषित करने के लिए प्रबन्ध कारिाी समिति के सदस्यों के 2/3 भाग की राय आवश्यक होगी।

7— संस्था के अंग— अ— साधारण सभा ब— प्रबन्धकारिणी समिति

अ— गठन—

1. साधारण सभा का गठन उपयुक्त नियम 5 में वर्णित सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

ब— बैठक— 1— सामान्य बैठक 2 विशेष बैठक

सामान्य बैठक—

साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अंत में एक बार अवश्य बुलाई जयेगी आवश्यकता पडने पर एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है।

विशेष बैठक—

प्रबन्धक के लिखित सूचना पर कभी भी बुलाइ जा सकती है।

स—सूचना अवधि—

सामान्य बैठक के लिए सूचना 11 दिन पूर्व तथा आवश्यक बैठक के लिए सूचना 5 दिन पूर्व दी जायेगी।

द— **गणपूर्ति—**

साधारण सभा की बैठक कोरम साधारण सभा के सदस्यों की संख्या का 2/3 भाग उपस्थित होने पर पूर्ण माना जायेगा।

नोट—

कोरम न पूर्ण होने की स्थिति में सभा स्थगित हो जायेगी अगली बैठक की तिथि उसी दिन निर्धारित कर दी जायेगी और अगली निर्धारित तिथि की गणपूर्ति नहीं देखी जायेगी और उपस्थित सदस्यों से ही सभा की बैठक सम्पन्न की जायेगी।

य— विशेष या वार्षिक अधिवेशन— वर्ष में एक बार विशेष या वार्षिक अधिवेशन होगा।

र— साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य—

1— संस्था /समिति के बजट को पारित एवं स्वीकृत करना।

स्नेहलता
प्रस्तुति थं का

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

2. हर 5 वें वर्ष अपने सदस्यों में से पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करना।
3. सोसाइटी के सामान्य एवं आर्थिक लाभ के लिए सम्भव कार्य करना।
4. प्रबन्ध समिति के पद रिक्त होने की दशा मं समिति के सदस्यों में से चुनाव करना/ संस्था/समिति के उद्‌देश्यों के अनुसार उनके हित में कार्य करना।
5. संस्था के नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करना।
6. सस्था/समिति की विगत कार्यवाही की पुष्टि करना।

9– प्रबन्धकारिणी समिति–

अ– **गठन–** प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा के वैध सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा प्रबन्धकारिणी समिति में कुल 7 सदस्य होगें जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य गण होगें।

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. प्रबन्धक/मंत्री
4. उपप्रबन्धक/उपमंत्री
5. सदस्य गण

ब– **बैठकें**–सामान्य 2. विशेष

1. सामान्य रूप से वर्ष में दो बैठक होगी।
2. विशेष अवश्यकता पडने पर इनकी संख्या हुत हो सकती है।

ग– **सुचना अवधि–**

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रूप से 7 दिन पूर्व या विशेष आवश्यकता पडने पर 5 दिन पूर्व की जायेगी।

घ– **गणपूर्ति–**

प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम 1/2 सदस्य पर पुरा होगा।

नोट– कोरम न पूरा होने की स्थिति में सभा स्थगित हो जायेगी अध्यक्ष की घोषणा अनुसार किसी दिन अगली बैठक की तिथि निर्धारित होगी जिससे गणपूर्ति न होने से बैठक स्थगित होने के बाद दूसरी सभा में भी यही स्थिति होने पर अध्यक्ष को सभा की संचालन करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

स्नेहलता

प्रस्तुति ओझा

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

घ– रिक्त स्थानां की पूर्ति आदि–

संस्था के पदाधिकारियों जैसे – अध्यक्ष–

र–प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार–

1. विगत कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. साधारण सभ्ज्ञा के द्वारा लिए गये निर्णयों को कियान्वित करना।
3. सस्था / समिति कि हिसाब किताब की देखरेख करना।
4. बजट पर विचार तथा संशोधन करना।
5. संस्था के उद्देश्यों के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुरक्षण अनुदान, विकास अनुदान प्राप्त करना तथा उसकी समुचित उपयोग की व्यवस्था करना।
6. संस्था की ओर से चन्दा, दान, लाभांश सदस्यता शुल्क ब्याज अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके कर्तव्यों एवं कीर्तिय उद्वत आधारों का निर्वाहन करना।
7. समिति कि सदस्य पदाधिकारी तथा सदस्य अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का उपयोग समिति द्वारा पारित प्रस्ताओं के आधार पर होगा। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केय बन्धक पट्टा उपहार अनुबन्धन तथा जमीन प्राप्त करना एवं संस्था के हित में पट्टा (लीज) पर देना एवं विकय करना।
8. प्रबन्धकारिणी समिति अपने किसी भी शक्ति को उपसमिति या किसी पदाधिकारी को सौप सकती है।

9– संस्था के कार्यो का संचालन करना तथा इस अनुकम में विधि तथा उपविधियों को तैयार करना।

10– उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी, गैरसरकारी, सहभागी, [illegible] राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था, व्यक्ति/समिति से चन्दा, दान, उपहार, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

ल–कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों / सदस्यों का कार्यकाल उनके चुने जाने के दिनांक से 5 वर्ष का होगा।

10–प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. अध्यक्ष–
   1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
   2. समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।
   3. अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।
   4. समान्यता के मतदान के समय अपने अतिरिक्त मत से निर्णण करने का अधिकार होगा।

रुचेश नाता

प्रस्तुति शुक्ला

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

5. बैठक में बाद–विवाद के पश्चात उचित निर्णय देना।
6. संस्था के हितार्थ उन सभी कार्यों को करना जिन्हें साधारण संस्था ने कार्यकारिणी में स्वीकृत दी हो।

2– **उपाध्यक्ष**– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

3– **प्रबन्धक / मंत्री**

1. संस्था के सभी प्राकर के आय व्यय का निरीक्षण करना।
2. सभी प्रकार के दान अनुदान, चन्दा, सदस्यता शुल्क ब्याज निरीक्षण करना।
3. चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध करना।
4. निर्माण एवं अन्य कार्य में आव्यक धन व्यय करना।
5. लेखा जोखा तैयार करना।
6. संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
7. संस्था के मुकदमों की पैरवी करना।
8. संस्था / समिति के उत्कर्ष हेतु चल– अचल सम्पत्ति एवं अनुबन्धों का हस्तान्तरण करना।
9. समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।
10. सभी प्रकार की धनराशियों को अधिकृत पोष्ट आफिस अथवा बैंक में एकल उपप्रबन्धक के साथ संयुक्त खाता खोलकर जमा करना एवं उसका आदान प्रदान करना।

सभी प्रकार के बैठको को बुलाने का अधिकार।

सदस्य बनाना, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना एवं सदस्यता हेतु रसीद निर्गत करना।

13. समिति संस्था के उद्देश्यों के अनुसार उसके पूर्ति हेतु सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

स्नेह लता

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

14– प्रबन्धक को अपने अधिकार एवं कर्तव्य को किसी भी सदस्य को सौपने को अधिकार होगा।

15. समिति/संस्था की व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करना प्रबन्धक के जिम्मे होगा।

16. विभिन्न प्रकार के योजनाओं एवं परियोजनाओं को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

17. आवश्यकतानुसार संस्था के हित में संस्था के लिए भूमि क्रय करना।

उपप्रबन्धक/उपमंत्री– प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धक/मंत्री के समस्त अधिकार उपप्रबन्धक/उपमंत्री में निहित हो जायेगा।

कोषाध्यक्ष–

प्रबन्धकारिणी समिति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि नियमावली में किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन की आवश्यकता है तो इस आशय का एक प्रस्ताव तैयार कर साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 बहुमत होने पर नियमावली में संसोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करके सम्बन्धित को सूचना दे दी जायेगी।

12– संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)–

1. अधिकृत पोस्ट आफिस अथवा बैंक में प्रबन्धक द्वारा अथवा प्रबन्धक एवं उपप्रबन्धक का संयुक्त खाता खोलकर कोषों का संचालन किया जायेगा।
2. आर्थिक लेखा जोखा की व्यवस्था प्रबन्धक ही करेगा।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट–

संस्था के आय–व्यय की जांच नियमानुसार प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षण द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्व कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

सस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा ।

15. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध–

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाय।

ख– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

स्वेच्छाना
प्रस्तुति द्वारा

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ङ संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भततों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपल–ब्ध कराये जायेगें।

छ– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

ज– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यलाय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम क से झ तक स्वीकार हैं।

झ– उक्त शतों में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

16. सस्था के अभिलेख–

कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, सदस्थता शुल्क रसीद स्टाक रजिस्टर कैश बुक आदि प्रबन्धक के पास रहेगा।

17. संस्था का विघटन–

संस्था का विघटन सोसाइटीज रजि0 एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 की निहित प्राविधानों की तहत किया जायेगा।

दिनांक............... सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

स्नेहलता

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
9/8/12

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता 9/8/12

जानकी प्रसाद चौधरी शिक्षा प्रसार समिति ग्राम कटौधा पो0 भरवलिया जनपद बस्ती उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष........2024–2025

क.सं.	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी पुत्र स्व0 राजाराम	ग्राम धनघटी पो0 अजगैवा जंगल जनपद बस्ती	अध्यक्ष	कृषि
2	श्री राम अनुराग वर्मा पुत्र श्री रामदेव वर्मा	904 अल्पण्ड सी ओमेक्स रेजिडेन्सी–2 यू .पी. पुलीस हैडक्वोटेर्स अर्जुनगंज लखनऊ	उपाध्यक्ष	कृषि
3	शैलेश कुमार चौधरी पुत्र स्व0 राम चरित्र चौधरी	ग्राम कटौधा पो0 भरवलिया जनपद बस्ती	सचिव / प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री अवधेश कुमार	मो0–पुराना डाकखाना गांधीनगर जनपद बस्ती	उपप्रबन्धक / उपसचिव	समाजसेवा
5.	मनीषा चौधरी पत्नी श्री शैलेश चौधरी	रौतापार पो0 गांधीनगर बस्ती जनपद बस्ती	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
6	श्री सुवास चन्द्र पुत्र श्री भगवानदास	म0न0 17 ग्राम गोविन्दापुर पो0 सोनहा जिला बस्ती	सदस्य	कृषि
7	श्रीमती निशा पत्नी श्री धर्म प्रकाश	ग्राम व पो0 बौलिया राजा जनपद महराजगंज	सदस्य	नौकरी

स्नेहलता

सुबास चन्द्र

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता..........
मिलान कर्ता..17/12/24